# न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
## पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या** – 129 / 2024 अपील / राजसमंद (GCMS 2024/177)
**पंजीयन दिनांक**– 14 / 06 / 2024
**निर्णय दिनांक**– 22 / 07 / 2025

1. श्री इस्माईल पुत्र करीम पिनारा (मुसलमान), निवासी चावण्डा माता मंदिर के पास, रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

–अपीलांट

**बनाम**

1. श्रीमती ईदा बानु पुत्री चांदु पत्नि रहीम बक्ष पिनारा (मुसलमान), निवासी वाना, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती उगमीबाई पत्नि करीम पिनारा (मुसलमान), निवासी चावण्डा माता मंदिर के पास, रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
3. श्रीमती अकीला पुत्री करीम पत्नि मुबारिक पिनारा (मुसलमान), निवासी दौवनी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती कुलसुम पिता करीम पत्नि बशीर मोहम्मद पिनारा (मुसलमान), निवासी माझावास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाडा।
5. श्रीमती मुमताज पुत्री करीम पत्नि जाकिर मोहम्मद पिनारा (मुसलमान), निवासी खेडिया रोड़, बस स्टेण्ड राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्रीमति रजिया पुत्री करीम पत्नि बशीर मोहम्मद पिनारा (मुसलमान), निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
7. श्रीमती शाहीना पुत्री करीम पत्नि अल्लानुर पिनारा (मुसलमान), निवासी मानजी का खेड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
8. श्रीमती शरीफा पुत्री करीम पत्नि बाबु हुसैन पिनारा (मुसलमान), निवासी कांगणी, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाडा।
9. श्रीमती जरीना पुत्री करीम पत्नि रज्जाक पिनारा (मुसलमान), निवासी धमाणा, गुलाबपुरा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
10. श्री युसुफ मोहम्मद पुत्र भुरा पिनारा (मुसलमान), निवासी मस्जिद के पास, रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
11. श्री गन्नी मोहम्मद पुत्री अली मोहम्मद पिनारा (मुसलमान), निवासी बालिका स्कूल के पास, रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

12. श्रीमती कुलसुम पत्नि मोहम्मद हुसैन पिनारा (मुसलमान), निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

13. श्रीमती मांगीबाई पिता चांदु पत्नि नुर मोहम्मद पिनारा (मुसलमान), निवासी बालिका स्कूल के पास, रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजमसंद।

14. श्री मांगीलाल पुत्र भैरूलाल माली, निवासी बस स्टेण्ड, रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

15. सरपंच, जरिये ग्राम पंचायत, रेलमगरा, जिला राजसमंद।

—रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः—

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री नरेन्द्र कुमार गर्ग — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 13

अपील अन्तर्गत धारा—76 भू—राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के
प्रकरण संख्या 13/2021 निर्णय दिनांक 30.05.2024

## निर्णय

दिनांक 22/07/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील (शीर्षक वर्णित) अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 13/2021 निर्णय दिनांक 30.05.2024 के विरूद्ध दिनांक 12.06.2024 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती ईदा बानु द्वारा नामांतरकरण संख्या 2210 में ग्राम पंचायत, रेलमगरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2002 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रेलमगरा में रेस्पोडेंट संख्या 1 ईदा बानु की कृषि भूमि स्थित है, जिसका नामांतरकरण संख्या 2210 दिनांक 22.06.2002 को ग्राम पंचायत, रेलमगरा द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत स्व. चांदु पिता मिठु पिनारा, निवासी रेलमगरा द्वारा वसीयत दिनांक

16.12.1991 को इस्माईल पिता करीम (अपीलांट) के पक्ष में निष्पादित की गई, जबकि चांदु पिता मिठु के दो पुत्रियां रेस्पोडेंट संख्या 1 ईदा बानु एवं रेस्पोडेंट संख्या 13 मांगीबाई है। मुस्लिम विधि के नियम 186(5) व 188(1) के तहत संपूर्ण संपत्ति के केवल मात्र 1/3 भाग की ही वसीयत की जाती सकती है। इसलिए वसीयत विधि विरूद्ध होकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.05.2024 से निम्नानुसार निर्णय पारित किये हैः– *"अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम रेलमगरा के नामांतरकरण संख्या 2210 दिनांक 22.06.2002 को निरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, रेलमगरा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में उभय पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से नियमानुसार नामांतरकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पालनार्थ तहसीलदार, रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 13 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार गर्ग उपस्थित।

प्रकरण में इसके साथ ही अपीलांट श्री इस्माईल पिता पुत्र करीम व रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती ईदा बानु पुत्री चांदु एवं रेस्पोडेंट संख्या 13 श्रीमती मांगीबाई पुत्री चांदु द्वारा राजीनामा दिनांक 21.07.2025 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें राजीनामें के आधार पर (जो कि संलग्न होकर इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा, प्रति पत्रावली में संलग्न रहेगी) राजीनामा में वर्णित कलम संख्या 2 राजीनामा अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 व 13 आपस में भाई बहन होने के नाते उनके मध्य अपसी समजाईश एवं लोक अदालत की भावना से राजीनाम किया जाना तय किया गया है, जिसके तहत रेस्पोडेंट संख्या 01 व 13 ने वादग्रस्त भूमियों में से स्थित उनका

कुलिया हिस्सा अपीलांट के पक्ष में ईदुलजुहा के अवसर पर दिनांक 07.06.2025 को हिबा कर मौके पर कुलिया भूमियों का कब्जा अपीलांट को सिपुर्द कर दिया है तथा उसी अनुरूप इन पक्षकारों के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा के समक्ष प्रस्तुत अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 2210 दिनांक 22.06.2002 को विड्रो करना तय कर उक्त नामांतरकरण को कायम रखे जाने बाबत निर्णय वांछित होने बाबत समझोता/राजीनामा प्रस्तुत किया। पक्षकारान् की पहचान उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई। पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाने पर उनके द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किया। पत्रावली का रेकर्ड अवलोकन किया गया तो हम यह पाते है कि प्रकरण में विवाद के दृष्टिगत प्रकरण के नातिक निस्तारण के लिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.05.2024 को निरस्त करते हुए राजीनामा के आधार पर बाद जांच नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही किये जाने के लिए प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत होगा।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.05.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय की एक प्रति पत्रावली में शामिल हो तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ राजीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जावें।

(सी. आर. देवासी)
**अति. संभागीय आयुक्त**
**उदयपुर**

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
**अति. संभागीय आयुक्त**
**उदयपुर**